

कार्यालय तहसीलदार सल्ट

संख्या 638 /

दिनांक 11.04.2017

सेवा में,

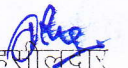
उपजिलाधिकारी
सल्ट (अल्मोड़ा)।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत विकास खण्ड स्याल्दे में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग लम्बाई 13.650 किमी0 के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 सल्ट के अन्तर्गत लालनगरी मोटर मार्ग लम्बाई 13.650 किमी निर्माण तहसील सल्ट के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि चयनित की जानी है। नियमानुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। प्रश्नगत प्रकरण पर राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कूपी एवं ओखलिया से जांच कर आख्या चाही गयी है। राजस्व उपनिरीक्षक की जांच आख्या विद्वित है कि तहसील सल्ट के अन्तर्गत लालनगरी मोटर मार्ग लम्बाई 13.650 किमी का निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिनांक 01.03.2017 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में श्री जगदीश गिरी वन दरोगा, जौरासी रैन्ज एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री रवि शंकर मौर्या कनिष्ठ अभियन्ता, श्री प्रेमपाल सिंह अमीन, पी0एम0जी0एस0वाई0 सल्ट एवं श्री सुरेन्द्र सिंह मर्तोलिया एवं श्री नन्दन सिंह करायत राजस्व उपनिरीक्षक कूपी एवं ओखलिया की उपस्थिति में हुआ। पी0एम0जी0एस0वाई0 सल्ट के अन्तर्गत लालनगरी मोटर मार्ग लम्बाई 13.650 किमी0 के निर्माण हेतु ग्राम झड़गांव एवं ओखलिया राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कूपी एवं ओखलिया की उपस्थिति में जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 20 की श्रेणी 9(3)ड़ के कुल कृषि योग्य बंजर भूमि के पैमाईश खेत नम्बर 430, 431, 432, 2321, 2323 एवं 2325 मध्य कुल रकवा 5.188 हैक्टेयर एवं खतौनी खाता संख्या 20 की श्रेणी 9(3)ड़ के कुल कृषि योग्य बंजर भूमि के पैमाईश खेत नम्बर 365 मध्य, कुल रकवा 2.500 हैक्टेयर एवं कुल रकवा 7.688 हैक्टेयर भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है। चयनित भूमि को मौके नक्शे में लाल रोशनाई से प्रदर्शित किया गया है। अतः जांच आख्या में मौका/नक्शा/खसरा खतौनी एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट अग्रतर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- यथोक्त।


तहसीलदार
सल्ट